संख्या-106 /2025/1237/26-3-2025- 1426727

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 मई 2025

विषयः- अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा विमुक्त जाति के विकास हेतु उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित समाज कल्याण द्वारा आवर्तक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रावासों /पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1467/स0क0/शिक्षा-ब/2023-24, दिनांक 06.03.2024 एवं पत्र संख्या-1484/स0क0/शिक्षा-ब/2024-25, दिनांक 17.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा विमुक्त जाति के विकास हेतु उ0प्र0 में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित समाज कल्याण विभाग आवर्तक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों/पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियो के मानदेय का निर्धारण श्रम विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार (मूल मजदूरी व प्रत्येक वर्ष निर्धारित परिवर्तन मंहगाई भत्ता) किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा विमुक्त जाति के विकास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रावासों/पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण श्रम विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	पद	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कुल मासिक मजदूरी	शासनादेश दिनांक-27.02.2013 द्वारा वर्तमान में प्रभावी दर	स्वीकृत मानदेय की दर
1	अधीक्षक/प्रबंधक (कुशल)	12,661/-	3000	12,661/-
2	रसोईया/कहार अर्धकुशल)	11,303/-	3000	11,303/-
3	सफाई कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(अकुशल)	10,275/-	1500	10,275/-
4	पुस्तकालयाध्यक्ष (कुशल)	12,661/-	2000	12,661/-

(1) प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स/ शासनादेश में निहित प्राविधान एवं दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(3) प्रश्नगत योजनान्तर्गत मानदेय प्रदान किये जाने हेतु श्रम विभाग के निर्धारित मानक के अनुसार सेवाएं लिये जाने के संबंध में पात्रता एवं चयन प्रक्रिया आदि का मूल्यांकन/परीक्षण करते हुये अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कार्य के घंटे की अवधि को सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत उपलब्ध छात्रावास /भवन में सुरक्षित अध्यासन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-**07**-X-2025-26 दिनांक: 06-05-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0संख्या-106/2025/1237(1)/26-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- समस्त जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण विभाग
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।